[2018] 3 एससीआर 96

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

ओम पाल एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 1213 वर्ष 2014)

21 मार्च, 2018

[एन. वी. रमन्ना और एस. अब्दुल नज़ीर, माननीय न्यायाधीशगण]

दण्ड संहिता, 1860:

धारा 302/34 - के अंतर्गत अभियोजन - दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और शिकायतकर्ता के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - साक्षियों पर अविश्वास करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अवमुक्त - अपील पर: उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की सराहना करते हुए उनके अप्राकृतिक व्यवहार और उनके विरोधाभासी बयानों को देखते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति पर सही ढंग से अविश्वास किया - शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रत्यक्षदर्शी की जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है - अभियोजन पक्ष इस प्रकार उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहा - संदेह का लाभ देते हुए अवमुक्त करना उचित है।

अपील निरस्त करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्णीत किया 1. माना जाता है कि शिकायतकर्ता-अभियोजन साक्षी 1 ने इस घटना को नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी-2 (प्रत्यक्षदर्शी) ने उन्हें जो भी सूचना दी, उस पर उन्होंने विश्वास किया और उसी के अनुसार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। यह भी निर्विवाद है कि अभियोजन साक्षी 1 प्रतिवादी पक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण था। पत्रवाली से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी 1 को घटना के बारे में कैसे पता चला, इस पहलू पर उन्होंने विरोधाभासी बयान दिए। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस द्वारा जनता से बयान लिए जाने के प्रयासों के बावजूद, कोई भी साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं था। अभियोजन साक्षी 1 के बयान के अनुसार, अभियोजन साक्षी 2 और 3 के अतिरिक्त, दो और व्यक्ति भी इस घटना के गवाह हैं। यह काफी अस्वाभाविक है कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अभियोजन साक्षी 2 द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, अभियोजन साक्षी 1 ने उनके बयान पर विश्वास करते हुए शिकायत दर्ज की। [पैरा 10]

2. दूसरी ओर, अभियोजन साक्षी 2 के आचरण और बयान इस कारण से विश्वास पैदा नहीं करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयान न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयान से सर्वथा भिन्न थे। वह घटना के समय और स्थान पर अपनी उपस्थिति का संतोषजनक कारण भी नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वयं से पुलिस में शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुना, भले ही उन्होंने इस घटना को देखा था क्योंकि अभियोजन साक्षी 2 द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर अभियोजन साक्षी 1 द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, उनके साक्ष्य में कुछ विरोधाभासी बयान थे कि मृतक को चोटें कैसे आईं, और घटना के विषय में किसी को भी नहीं बताने का उनका आचरण भी था। यह अभियोजन

साक्षी 2 के महत्व और विश्वसनीयता पर संदेह को जन्म देता है। जब अभियोजन साक्षी 2 के साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को खतरे में डालते हैं, तो किसी भी तरह से अभियोजन साक्षी 1 के साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 11]

3. मृतक की पत्नी अभियोजन साक्षी 3 का आचरण भी विश्वसनीय नहीं है, जिसे अपने पति की मृत्यु के बाद लगभग एक महीने तक सदमे में बताया गया था और होश में नहीं थी। अभियोजन के दावे के समर्थन में पत्रवाली पर कोई वैध दस्तावेजी या चिकित्सा साक्ष्य नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अप्राकृतिक व्यवहार को देखते हुए अभियोजन साक्षी 2 और 3 और उनके विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके साक्ष्य वास्तविक हैं ताकि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। [पैरा 12]

4. उच्च न्यायालय ने तीन महत्वपूर्ण साक्षियों यानी अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 के साक्ष्यों की सराहना करते हुए, घटनास्थल पर अभियोजन साक्षी 2 और 3 की उपस्थिति पर सही ढंग से अविश्वास किया और अभियोजन साक्षी 1 - शिकायतकर्ता के साक्ष्य को खारिज कर दिया। निस्संदेह, अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 के साक्ष्यों के आधार पर मामले को स्थापित करने के अपने प्रयास में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। [पैरा 14]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1213 वर्ष 2014

आपराधिक अपील संख्या 2622 वर्ष 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.04.2007 से।

वी. वी. वी. पट्टाभिराम, संजय कुमार त्यागी, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण।

बी. पी. गुप्ता, (एसी), के. एस. राणा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, द्वारा सुनाया गया था

1. विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2622 वर्ष 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2007 के विरुद्ध योजित की गई है। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने उन प्रतिवादियों को बरी कर दिया है जो जिला न्यायालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के समक्ष 2003 के सत्र परीक्षण संख्या 1090 में आरोपी थे।

2. संक्षेप में, अभियोजन का मामला है, 25-3-1993 की सुबह लगभग 9.00 बजे का है। महिपाल (मृतक) और उसकी पत्नी प्रकाशी (अभियोजन साक्षी 3) भैंस की गाड़ी पर अपने खेतों में जा रहे थे और तेज पाल, राम स्वरूप और धर्मेंद्र (अभियोजन साक्षी 2) उनका पीछा कर रहे थे। जब वे जा रहे थे, तो तीनों आरोपी (यहां प्रतिवादी) एक उपनाम के खेत के पास गन्ने के खेत से सामने आ गए, तब वे महिपाल को गालियाँ दे देते हुए उस पर गोली चला दी। ओम पाल द्वारा चलाई गई गोली चूक गई लेकिन मुख्तियार द्वारा चलाई गई गोली महिपाल को लगी। नवीन ने महिपाल के सिर पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। धर्मेंद्र (अभियोजन साक्षी 2) से घटना के बारे में जानकारी मिलने पर, नरेश (अभियोजन साक्षी 1) धर्मेंद्र के साथ घायल महिपाल को पुलिस स्टेशन, बाबूगढ़ ले गया और प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय महिपाल ने दम तोड़ दिया।

3. आर. के. चौधरी (अभियोजन साक्षी 6) ने जांच की, बयान दर्ज किए, साइट प्लान (एक्स्ट केए -3) तैयार किया, घटना के स्थान से सादे मिट्टी के साथ-साथ खून से सनी मिट्टी एकत्र की और अस्पताल में जांच करने के बाद, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अभियुक्त मुख्तियार को 29-3-1993 को गांव बचरौटा के पास से गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से 315 बोर की एक अवैध पिस्तौल और एक गोला-बारूद कारतूस (प्रदर्श 13) बरामद किया गया था। 8 अप्रैल, 1993 को अन्वेषण अधिकारी ने अन्य आरोपियों ओमल और नवीन के बयान दर्ज किए। अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया एक तमंचा बाद में 14.4.1993 को आरोपी ओमपाल की निशानदेही पर बरामद किया गया था। मृतक की पत्नी (अभियोजन साक्षी 3) का बयान दिनांक 24-4-1993 को दर्ज किया गया था। जांच पूरी करने के बाद, हापुड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां सभी तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और धारा 34 के अंतर्गत आरोप तय किए गए और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आरोपी मुख्तियार के खिलाफ भी आरोप तय किए गए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण किए जाने हेतु दावा किया।

4. मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से शिकायतकर्ता नरेश पाल (अभियोजन साक्षी 1) और प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र (अभियोजन साक्षी 2) और मृतक की पत्नी प्रकाशी (अभियोजन साक्षी 3) के साक्ष्यों पर भरोसा किया। अपराध करने का मकसद यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी क्योंकि घटना की तिथि से लगभग तीन वर्ष पूर्व आरोपी मुख्तियार को गोली मार दी गई थी और उस संबंध में हापुड़ न्यायालय में एक मामला चल रहा था जिसमें महिपाल (अभियोजन साक्षी 1) आरोपी था। अभियोजन साक्षी 4- साजिश को साबित करने के लिए प्रताप सिंह से गवाह के रूप में पूछताछ की गई। अभियोजन साक्षी 5 डॉ. हरि किशन अग्रवाल हैं, जिन्होंने मृतक महिपाल का पोस्टमार्टम किया था। अभियोजन साक्षी 6 उप-निरीक्षक आर.के. चौधरी - अन्वेषण अधिकारी और अभियोजन साक्षी 7- पलटू राम, हेड कांस्टेबल औपचारिक गवाह हैं। मुकदमे के अंत में, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। तदनुसार, आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना देना पड़ा और ऐसा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

5. दोषसिद्धि और सजा देने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय को अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। उसके समक्ष रखी गई सामग्री का मूल्यांकन करने पर, उच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह, जिनके साक्ष्य पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया है, विश्वसनीय नहीं हैं। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और सभी तीन आरोपियों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अवमुक्त किए जाने के आदेश से असंतुष्ट उत्तर प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान एमिकस क्यूरी (वाद मित्र) को सुना है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का प्रबल विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय घटनास्थल पर दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभियोजन साक्षी 2 और 3 की उपस्थिति के तथ्य को समझने में विफल रहा है, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि

आरोपी ने मृतक पर हमला कैसे किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई। मृतक के शरीर पर लगी चोटें अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि करती हैं और चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन के मामले का समर्थन करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण निर्णय को निरस्त करके, इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए विधि की एक गंभीर त्रुटि की है।

8. एमिकस क्यूरी ने हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अवमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के बाद, हमने हमारे सामने रखी गई सामग्री के प्रकाश में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना विचारशील विमर्श रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के तीन साक्षियों यानी अभियोजन साक्षी 1 - नरेश पाल, शिकायतकर्ता, अभियोजन साक्षी 2 - धर्मेंद्र, एक प्रत्यक्षदर्शी और अभियोजन साक्षी 3 - प्रकाशी, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी और मृतक की पत्नी के साक्ष्यों के आधार पर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में, उपरोक्त गवाह विश्वसनीय नहीं हैं। चूंकि अभियोजन का पूरा मामला इन तीन साक्षियों के बयानों पर टिका है, इसलिए न्यायालय के लिए यह जरूरी है कि वह उनके साक्ष्यों की ठीक से परीक्षा करे ताकि अनाज से भूसी को छाना जा सके और सच्चाई का पता लगाया जा सके। उस खोज में, उनके साक्ष्यों को विश्वसनीयता और महत्व के दृष्टिकोण से माना जाना चाहिए। एक बार जब वह संतुष्ट हो जाता है, तो उसे न्यायालय के मन में बताए गए साक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए।

10. माना जाता है कि शिकायतकर्ता-अभियोजन साक्षी 1 ने इस घटना को नहीं देखा है। धर्मेंद्र (अभियोजन साक्षी 2) ने उन्हें जो कुछ भी सूचित किया, उस पर उन्होंने विश्वास किया और तदनुसार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। यह भी निर्विवाद है कि अभियोजन साक्षी 1 प्रतिवादी पक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण था। आरोपियों पर गोलीबारी की एक घटना से संबंधित हापुड़ न्यायालय में एक आपराधिक मामला भी लंबित था, जिसमें मृतक के साथ-साथ अभियोजन साक्षी 1 भी आरोपी था और प्रतिवादी संख्या 3 पीड़ित था। पत्रवाली से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी 1 को घटना के बारे में कैसे पता चला, इस पहलू पर उन्होंने विरोधाभासी बयान दिए। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस द्वारा जनता से बयान दर्ज करने के प्रयासों के बावजूद, कोई भी साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं था। अभियोजन साक्षी 1 के बयान के अनुसार, अभियोजन साक्षी 2 और 3 के अतिरिक्त, दो और व्यक्ति तेज पाल और राम स्वरूप भी इस घटना के गवाह हैं। यह काफी अस्वाभाविक है कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन धर्मेंद्र (अभियोजन साक्षी 2) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, अभियोजन साक्षी 1 ने धर्मेंद्र के बयान पर विश्वास करते हुए शिकायत दर्ज की।

11. दूसरी ओर, अभियोजन साक्षी 2 (धर्मेंद्र) का आचरण और बयान, जिसे एक प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था, इस कारण से विश्वास पैदा नहीं करता है कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत उसके बयान उससे काफी अलग थे जो उसने अपने मुख्य परीक्षा में न्यायालय के समक्ष कहा था। वह घटना के समय और स्थान पर अपनी उपस्थिति का संतोषजनक कारण भी नहीं दे सका। इसके अलावा, उन्होंने खुद से पुलिस में शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुना, भले ही उन्होंने इस घटना को देखा था क्योंकि अभियोजन साक्षी 2 द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर अभियोजन साक्षी 1 द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, उनके

साक्ष्य में कुछ विरोधाभासी बयान थे कि मृतक को चोटें कैसे आईं, और नरेश पाल के घर जाने के रास्ते में घटना के बारे में शोर नहीं मचाने और किसी को नहीं बताने का उनका आचरण अभियोजन साक्षी 2 की विश्वसनीयता और महत्व पर संदेह को जन्म देता है। जब अभियोजन साक्षी 2 के साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को खतरे में डालते हैं, तो किसी भी तरह से अभियोजन साक्षी 1 के साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है।

12. हम मृतक की पत्नी अभियोजन साक्षी 3 के आचरण पर भी विश्वास करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसे अपने पति की मृत्यु के बाद लगभग एक महीने तक सदमे में बताया गया था और होश में नहीं थी। हमें अभियोजन पक्ष के दावे के समर्थन में पत्रवाली पर कोई वैध दस्तावेजी या चिकित्सा साक्ष्य नहीं मिला कि अभियोजन साक्षी 3 वास्तव में लगभग एक महीने तक इतनी बेहोशी की हालत में थी। प्रत्यक्षदर्शियों अभियोजन साक्षी 2 और 3 के अप्राकृतिक व्यवहार और उनके विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके साक्ष्य वास्तविक हैं ताकि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके।

13. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ उल्लेखनीय खामियां थीं उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अभियोजन साक्षी 4 (प्रताप सिंह) के अनुसार, घटना की पिछली रात उन्होंने जाकर नाम के एक व्यक्ति के साथ आरोपी को मृतक की हत्या का षड्यन्त्र रचते हुए सुना, लेकिन अभियोजन पक्ष ने जाकर को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन साक्षी 4 की ओर से यह अविश्वसनीय है कि षड्यन्त्र के विषय में जानने के बावजूद, उसने पीड़ित पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया ताकि मृतक के जीवन को बचाया जा सके। विचारण न्यायालय ने भी उनके साक्ष्यों पर अविश्वास किया।

14. उच्च न्यायालय ने तीन महत्वपूर्ण साक्षियों यानी अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 के साक्ष्य की सराहना करते हुए, घटना के स्थान पर अभियोजन साक्षी 2 और 3 की उपस्थिति पर सही ढंग से अविश्वास किया और अभियोजन साक्षी 1-शिकायतकर्ता के साक्ष्य को खारिज कर दिया। निस्संदेह, अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 के साक्ष्यों के आधार पर मामले को स्थापित करने के अपने प्रयास में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने में कोई अवैधता या प्रकट त्रुटि नहीं की है। हम प्रतिवादियों को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तर्क देते हुए, हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस अपील हस्तक्षेप में कोई दम नहीं मिलता है।

15. तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपील को निरस्त किया जाता है।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय